न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 53/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/124)

उनवानी प्रकरण :–

भीखाराम पुत्र गनपत उम्र करीब 60 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील मंनिया जिला धौलपुर ----------अपीलान्ट

बनाम्

1–दौलतराम पुत्र टीकाराम जाति लोधा नि0 ग्राम खेरली तह0 मंनिया जिला धौलपुर
2–ओमप्रकाश पुत्र बांकेलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम जसूपुरा हाल आवाद लाल बाजार कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
3–तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ----------रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.10.2018
बावत नामान्तकरण प्रार्थना पत्र भीखाराम, प्रा0पत्र संख्या 30/2017 पर तहसीलदार धौलपुर द्वारा पारित आदेश

उपस्थिति :
अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 की ओर से :– श्री रंजीतसिंह लोधा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 3 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 12.02.2025

प्रस्तुत अपील, अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्ट व गनपत ने एक दावा विभाजन का आराजी खसरा नम्बर 1761 रकवा 02 वीधा 02 विस्वा बांके ग्राम खेरली उप तहसील मंनिया के बावत व अन्य आराजीयात को शामिल करके न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर में मुकदमा नम्बर 315/91 उनवानी गनपत वगैरा बनाम दौलतराम वगैरा दायर किया जो दिनांक 23.04.2002 को प्रारम्भिक डिक्री हुआ व कुर्रेजात प्रस्ताव तलब करके अन्तिम फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 को हुआ। अन्तिम फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2714 से आराजीयात का बटवारा करके अलग–अलग खाते व लगान पक्षकारों के कायम किये गये। अन्तिम फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002

जिला कलक्टर
धौलपुर

की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 2714 खोला गया जिसमें खसरा नम्बर 1761/1 (3504/1761) रकबा 11 बिस्वा अपीलान्ट के खाते में तथा खसरा नम्बर 1761/2 (3505/1761) रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा बांके ग्राम खेरली में हिस्सा 21/62 भाग रेस्पो0संख्या–2 ओमप्रकाश को दिया परन्तु रेस्पो0संख्या–2 ओमप्रकाश ने खसरा नम्बर 1761 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा में से अपने 1/4 हिस्सा का विक्रय पत्र बहक रेस्पो0संख्या–1 दौलतराम को दिनांक 29.08.1991 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2872 के द्वारा खसरा नम्बर 1761/2 (3505/1761) रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा के 21/62 भाग का नामान्तकरण स्वीकार हुआ तथा रेस्पो0 संख्या–1 दौलतराम ने उक्त खसरा नम्बर के 21/62 भाग को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2009 को उक्त हिस्सा अपीलान्ट को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2906 से अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ। न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के प्रारम्भिक फैसला व डिक्री दिनांक 23.04.2002 व अन्तिम फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 की अपील न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर में दायर हुई जो दिनांक 30.06.2011 को स्वीकार हुई तथा आदेश दिनांक 23.04.2002 व 08.10.2002 दिनांक 18.11.2002 को फैसल कर पुनः पक्षकार को फरीक बनाकर फैसला करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। पुनः मुकद्दमा न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर में संस्थित हुआ जिसमें सुरेशचंद व केशवचंद ने प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 का पेश कर फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 व 18.11.2002 की पालना में डिक्री से पूर्व के इन्द्राजात बहाल करने के बावत पेश किया जिसे सुनकर न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर ने दिनांक 04.03.2014 को डिक्री दिनांक 08.10.2002 के आधार पर जो नामान्तकरण संख्या 2714 तारीखी 30.10.2005 को पारित किया उसे निरस्त कर दिया गया जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1761/1 (3504/1761) रकबा 11 बिस्वा व 1761/2 (3505/1761) रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा ग्राम खेरली पर अपीलान्ट व दौलतराम रेस्पो0 संख्या–1 का नाम निरस्त कर रेस्पो0 संख्या–2 ओमप्रकाश का नाम 1/4 हिस्सा पर दोनो खसरा नम्बरान पर दर्ज कर दिया। उक्त वाद दिनांक 11.02.2017 को वापिस ले लिया गया है उसके बाद कोई मुकद्दमा दर्ज नहीं हुआ है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1761/1 (3504/1761) रकबा 11 बिस्वा व 1761/2 (3505/1761) रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा ग्राम खेरली पर अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की जिसमें उन्होने दिनांक 18.06.2017 को अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण किया जाना उचित माना परन्तु इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपीलान्ट के नाम जो नामान्तकरण संख्या 2906 व 2872 से दर्ज हुये जो धारा 144 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर पूर्व की भांति बहाल हुये दावा के समाप्त हो जाने के बाद पुनः नामान्तकरण स्वीकार करना चाहिऐ था जो नहीं किया। अपीलान्ट

जिला कलक्टर
धौलपुर

ने दिनांक 07.02.2020 को अदालत में पत्रावली के बावज जानकारी चाही तो अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2018 को खारिज किया जाना बताया गया। अपीलान्ट ने तुरन्त उसी दिन नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल दिनांक 13.02.2020 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तारीखी 30.10.2018 को निरस्त किये जाने तथा अपीलान्ट के हक में विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति आदेश तारीखी 30.10.2018 न्याया0 तहसीलदार धौलपुर, प्रार्थना पत्र तारीखी 26.5.2017 भीखाराम मय रिपोर्ट पटवारी हल्का तारीखी 10.6.2017, बयान प्रमाणित प्रति दौलतराम, बयान प्रमाणित प्रति ओमप्रकाश पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलव किया गया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट व गनपत ने एक दावा विभाजन का आराजी खसरा नम्बर 1761 रकवा 02 वीधा 02 विस्वा बांके ग्राम खेरली के बावत व अन्य आराजीयात को शामिल करके न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर में मुकदमा नम्बर 315/91 उनवानी गनपत वगैरा बनाम दौलतराम वगैरा दायर किया जिसका अन्तिम फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 को हुआ। अन्तिम फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2714 से आराजीयात का बटवारा करके अलग–अलग खाते कायम किये गये जिसमें खसरा नम्बर 1761/1 (3504/1761) रकवा 11 विस्वा अपीलान्ट के खाते में तथा खसरा नम्बर 1761/2 (3505/1761) रकवा 01 वीधा 11 विस्वा बांके ग्राम खेरली में हिस्सा 21/82 भाग रेस्पो0संख्या–2 ओमप्रकाश को दिया परन्तु रेस्पो0संख्या–2 ओमप्रकाश ने खसरा नम्बर 1761 रकवा 02 वीधा 02 विस्वा में से अपने 1/4 हिस्सा का विक्रय पत्र वहक रेस्पो0संख्या–1 दौलतराम को दिनांक

जिला कलक्टर
धौलपुर

29.08.1991 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2872 के द्वारा खसरा नम्बर 1761/2 (3505/1761) रकवा 01 वीधा 11 विस्वा के 21/62 भाग का नामान्तकरण स्वीकार हुआ तथा रेस्पो0 संख्या–1 दौलतराम ने उक्त खसरा नम्बर के 21/62 भाग को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2009 को उक्त हिस्सा अपीलान्ट को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2906 से अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ। न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के फैसला व डिक्री दिनांक 08.10.2002 की अपील न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर में दायर हुई। न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2011 से न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2002 निरस्त की जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निर्णय हुआ जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 2714 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की गई जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1761/1 (3504/1761) रकवा 11 विस्वा व 1761/2 (3505/1761) रकवा 01 वीधा 11 विस्वा ग्राम खेरली पर अपीलान्ट व दौलतराम रेस्पो0 संख्या–1 का नाम निरस्त कर रेस्पो0 संख्या–2 ओमप्रकाश का नाम 1/4 हिस्सा पर दोनो खसरा नम्बरान पर दर्ज कर दिया। नामान्तकरण संख्या 2714 के निरस्त होने पर इसके बाद के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2872 व 2906 प्रभावहीन हुये है। उक्त वाद ही समाप्त हो गया जो वापिस ले लिया गया तो पुनः क्रेता अपीलान्ट के नाम दर्ज करना चाहिए था जो नहीं किया जो विधिक प्रतिपादित सिद्वान्तों के विरूद्व है। क्रेता अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की जिसमें उन्होने अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण किया जाना उचित माना परन्तु इसके बावजूद में अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील वयनामा दिनांक 17.03.2009 एवं वयनामा दिनांक 29.08.91 के आधार पर नामान्तकरण करने हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के विरूद्व पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 2872 से बयनामा दिनांक 29.08.91 एवं नामान्तकरण संख्या 2906 से वयनामा दिनांक

जिला कलक्टर
धौलपुर

17.03.09 का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है इससे पूर्व न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के बटवारा निर्णय व डिकी दिनांक 08.10.2002 की अनुपालना में बयनामा में अंकित खसरा नम्बरान का विभाजन नामान्तकरण संख्या 2714 से किया गया है। तदोपरान्त न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2011 से न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.10.2002 निरस्त की जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निर्णय हुआ है जिसके तहत न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर के इजराय आदेश दिनांक 24.3.2014 की पालना में नामान्तकरण संख्या 2714 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की गई है। नामान्तकरण संख्या 2714 के निरस्त होने पर इसके बाद के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2872 व 2906 प्रभावहीन हुये है। तहसीलदार का अपने आदेश में यह कहना कि पूर्व की स्थिति बहाल होने पर बयनामा एवं राजस्व अभिलेख का मिलान नहीं होता है, यह न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र दौलतराम पुत्र टीकाराम, ओमप्रकाश पुत्र बांकेलाल के जो बयान लिये गये है एवं मौकापर्चा दिनांक 27.09.2017 तथा पटवारी हल्का की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार नामान्तकरण संख्या 2714 पुनः निर्णय के बाद निरस्त कर पूर्व की स्थिति अनुसार पूर्व विक्रेता खातेदार ओमप्रकाश पुत्र बांकेलाल का नाम वापिस रिकार्ड में आ चुका है। उपरोक्त दोनो बयनामों के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र बांकेलाल के हिस्से पर दौलतराम पुत्र टीकाराम का एवं दूसरे वयनामा से दौलतराम पुत्र टीकाराम के हिस्से पर अपीलान्ट भीखाराम पुत्र गनपत लोधा के नाम किया जाना उचित माना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने अपने आदेश में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं रिकार्ड का परिक्षण किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की तहसीलदार धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के नाम विक्रय पत्रो के आधार पर जांच कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर